

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा (दौसा)

नु.संख्या३.../2018

.....मीरा..... बनाम्रामेश्वर.....

प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक ..९.../...१.../...१८..

यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्री गिरधरसिंह.....एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की जावें। पत्रावली दिनांक २५-१-१८..... को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

२५/१८

आज पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी
उपस्थित/ प्रार्थी का वाद नहीं चलाने के कारण
स्वारिज किया जा चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र
भावहीन हो चुका है।

धरः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा स्वारिज किया जाता है। पत्रावली
कैसल शुमार हो व शामिल नूब वाद रहे,
कोश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, महवा